न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -86/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

अभिनाष महली बनाम श्रीपति मुण्डा

03.02.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –	अभिनाष महली पिता–स्व० तिलेश्वर महली, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–कृषि।
क्रेता का नाम एवं पता –	श्रीपति मुण्डा पिता–स्व० साहेब राम मुण्डा, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेतीवारी।
विद्वान अधिवक्ता का नाम –	श्री अनुप जायसवाल।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–22/09/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता श्रीपति मुण्डा पिता–स्व० साहेब राम मुण्डा, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेतीवारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैं:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सताकी	अनगड़ा/41	74	2395	03 डी० चौहद्दी:– उ०–रास्ता। द०–अघनु महतो। पू०–दिलीप कुमार महली। प०–सोनाराम महली।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–390(ii) दिनांक–17/12/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत दुबु महली वल्द लखीराम महली वो कारतीक महली वल्द मादो महली वो धनीराम महली वल्द बंका महली के नाम से दर्ज है।

(2) खतियानी रैयत/पंजी–II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम राधा महली वो विसम महली पे० दुबु महली वगै० है। तथा रैयत के पास रकबा–6.41 एकड़ भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2021–22 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध दादा–पोता का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–6.38 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो आदिवासी समुदाय के सदस्य है।
(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही गांव एवं थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता अभिनाष महली पिता–स्व० तिलेश्वर महली, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–कृषि, को क्रेता श्रीपति मुण्डा पिता–स्व० साहेब राम मुण्डा, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेतीवारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–22/09/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता अभिनाष महली पिता–स्व० तिलेश्वर महली, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–महली, पेशा–कृषि, को क्रेता श्रीपति मुण्डा पिता–स्व० साहेब राम मुण्डा, ग्राम–सताकी, पो०–सताकी, थाना–अनगड़ा, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेतीवारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i) के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
सताकी	अनगड़ा/41	74	2395	03 डी० चौहद्दीः– उ०–रास्ता। द०–अघनु महतो। पू०–दिलीप कुमार महली। प०–सोनाराम महली।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.02.13 16:33:10 +05:30
Location: 10.93.79.19